अतिआवश्यक / महत्वपूर्ण / स्थायी निर्देश

उत्तर प्रदेश पी.ए.सी. मुख्यालय, महानगर लखनऊ—226006
फोन +91–522–2337452, सीयूजी +91–9454400122, फैक्स +91–522–2337453, ई–मेल pac@uppac.net वेब uppolice.up.nic.in

संख्या:पी.ए.सी.–I–निर्देश–2013 दिनांक:लखनऊ:अक्टूबर 01 2013

स्थायी आदेश संख्या: 07 / 2013

सेवा में,

समस्त सेनानायक,
पीएसी वाहिनी, उ0प्र0।

कृपया इस मुख्यालय के पत्र संख्या: पीएसी–I–इन्स0–95, दिनांक 22.12.2010 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा पीएसी से बाहर अन्य शाखाओं / इकाईयों / जनपदीय पुलिस में स्थानान्तरित / सम्बद्ध किये गये चतुर्थ श्रेणी से लेकर उप सेनानायक स्तर के कर्मचारी / अधिकारी को बगैर पीएसी मुख्यालय की अनुमति के कार्यमुक्त न किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये है।

2— उल्लेखनीय है कि मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 / उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद / उ0प्र0 पीएसी मुख्यालय आदि सक्षम स्तर से पीएसी से बाहर अन्य शाखाओं / इकाईयों / जनपदीय पुलिस में स्थानान्तरित / सम्बद्ध किये गये पीएसी के कर्मचारी / अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त न किये जाने से प्रशासनिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है, जैसै :—

(1) स्थानान्तरण / सम्बद्धता आदेश का कियान्वयन न होने से उसका उद्देश्य समय से पूर्ण न होना।
(2) अनावश्यक अनुस्मारक पत्र, पत्राचार से प्रशासनिक समय का ह्रास होना।
(3) कर्मचारी तथा सम्बन्धित कार्यालयों में अनिश्चितता की स्थिति।
(4) कर्मचारी द्वारा विभिन्न श्रोतों से स्थानान्तरण बदलवाकर या जल्दी कार्यमुक्त कराने की पैरवी तथा कुछ मामलों में कदाचरण का अवसर पैदा करना।

3— अतः इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत समस्त परिपत्रों को अतिकमित करते हुये यह निर्देश निर्गत किये जाते है कि सक्षम स्तर से जारी किये गये स्थानान्तरण / सम्बद्धता आदेशों का तत्काल अनुपालन (यदि कोई विधिक बाधा न हो तो) सुनिश्चित कर लिया जाये। कार्यमुक्त करने का आदेश सेनानायक स्वयं के हस्ताक्षर से पारित करें। अब इस सम्बन्ध में पीएसी मुख्यालय से अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। यदि सक्षम स्तर से स्थानान्तरित / सम्बद्ध किये गये कर्मचारी / अधिकारी को कार्यमुक्त किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई है तो उसके रोकने संबंधी सुस्पष्ट टिप्पणी / आख्या 03 दिवस के अन्दर सेनानायक स्वयं के हस्ताक्षर से इस मुख्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, साथ ही इस पत्र की प्रतिलिपि इकाई जहाँ कर्मी का स्थानान्तरण किया गया है को पृष्ठांकित करें। ज्ञातव्य है कि कर्मचारियों की कमी कार्यमुक्त न करने का उचित आधार नहीं है। क्योंकि यह परिस्थिति प्रायः हर इकाई में है।

(रंजन द्विवेदी)
पुलिस महानिदेशक, पीएसी,
उ0प्र0 लखनऊ।

प्रतिलिपि–

1— पुलिस महानिदेशक के सहायक, उ0प्र0 लखनऊ को पुलिस महानिदेशक के अवलोकनार्थ प्रेषित।
2— पुलिस महानिरीक्षक, प्रशासन / स्थापना, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित है कि यदि उचित समझे तो अन्य इकाईयों को भी उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
3— समस्त पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी जोन, उ0प्र0 को सूचनार्थ एवं समान कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4— समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक, पीएसी अनुभाग, उ0प्र0 को सूचनार्थ एवं समान कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5— समस्त जनपदीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक को इस निवेदन के साथ प्रेषित कि यदि किसी कर्मी को उनके जनपद हेतु कार्यमुक्त किया जाता है और वह रिपोर्ट नहीं करता है तो कृपया तत्काल अवगत करायें तथा अपने जनपद से भी पीएसी हेतु स्थानान्तरित कर्मी को समय से कार्यमुक्त करें।

pramod-2013